[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 30 जुलाई, 2024

सा.का.नि..नं. १६ (अ). - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्ः

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभः- (1) इन नियमों का नाम रेल सेवा (पेंशन) द्वितीय संशोधन नियम,
 2024 है।
- (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
- 2. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 55 के लिए, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :

"55. अशक्तता पेंशन — (1) रेल सेवक के दिव्यांग होने के मामले में, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के खंड 20 के उपबंध लागू होते हैं, उक्त खंड के उपबंधों द्वारा शासित होंगे:

परंतु यह कि ऐसा कर्मचारी एक दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जो दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(2) यदि कोई रेल सेवक, ऐसे मामले में, जहां उक्त अधिनियम के खंड 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता, जो उसे सेवा के लिए स्थायी तौर पर अक्षम बनाती है के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो उसे नियम 69 के अनुसार अशक्तता पेंशन दी जा सकती है।

परंतु यह कि रेल सेवक, जो किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता जो उसे स्थायी तौर पर अक्षम बनाती है, के कारण दस वर्ष की अर्हक सेवा करने से पूर्व, सेवा से सेवानिवृत्त होता है, तो उसे भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियम 69 के उप-नियम (2) के अनुसार अशक्तता पेंशन दी जा सकेगी:-

- (क) उसकी रेल सेवा में नियुक्ति से पहले अथवा नियुक्ति के बाद उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई हो और उसे रेल सेवा के लिए ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा योग्य घोषित किया गया हो; और
- (ख) अशक्तता पेंशन दिए जाने वाले के लिए नियम में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों को पूरा करता हो।
- (3) जहां उप-नियम (2) में निर्दिष्ट, कोई रेल सेवक अशक्तता पेंशन के लिए आवेदन करता है, तो उसे निम्नलिखित चिकित्सा प्राधिकारी से असमर्थता चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अर्थात् :-
- (क) राजपत्रित रेल सेवक, और ऐसे अराजपत्रित रेल सेवक जिनका भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द II (1987-संस्करण) के नियम 1303 में यथा-परिभाषित वेतन चौवन हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक है, के मामले में चिकित्सा बोर्ड द्वारा;
- (ख) अन्य मामलों में किसी सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या समकक्ष स्तर का चिकित्सा अधिकारी।

टिप्पण 1: जबतक कि आवेदक यह दर्शाते हुए एक पत्र प्रस्तुत न कर दे कि उसके कार्यालय या विभाग के प्रमुख को आवेदक के चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के आशय की जानकारी है तथा चिकित्सा प्राधिकारी को कार्यालय या विभाग के प्रमुख द्वारा आवेदक की आयु के बारे में आधिकारिक अभिलेखों से स्पष्ट होने वाला एक विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा तथा यदि आवेदक के लिए सेवा पुस्तिका का रखरखाव किया जा रहा है तो उसमे अभिलिखित आयु सूचित की जानी चाहिए।

टिप्पण 2 : जब किसी महिला अभ्यर्थी का परीक्षण किया जाना हो तो एक महिला डॉक्टर को भी चिकित्सा बोर्ड के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

- (4) चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिया जाने वाला चिकित्सा प्रमाणपत्र इन नियमों के साथ अनुबद्ध प्ररूप 21 में यथा-निर्दिष्ट होगा।
- (5) जहां उप-नियम(3) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी ने उप-नियम(2) में उल्लिखित किसी रेल सेवक को उसके द्वारा की जा रही सेवा से कम श्रम वाली आगे की सेवा के लिए योग्य घोषित किया है तो ऐसे नियोजित होने की उसकी इच्छा के अध्यधीन, निम्नतर पद पर नियोजित किया जाएगा और यदि उसे निम्नतर पद पर नियोजित करने का कोई उपाय न हो, तो उसे नियम 69 के अंतर्गत अशक्तता पेंशन दी जा सकती है।
- 3. उक्त नियमों में, नियम 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62 का लोप कर दिया जाएगा।
- 4. उक्त नियमों में, नियम 69 के उप-नियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(2) नियम 55 के उप-नियम (2) के परंतुक के अध्यधीन, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कम से कम दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक के मामले में पेंशन की राशि की गणना वेतन के पचास प्रतिशत पर या औसत वेतन पर की जाएगी, इनमें से जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, जो कि न्यूनतम नौ हजार रूपए प्रतिमाह और अधिकतम एक लाख पच्चीस हजार रूपये प्रतिमाह के अध्यधीन होगा।"
- 5. उक्त नियम में, नियम 75,-
- (क) उप-नियम (4) में,-
- (i) खंड (i) में, उप-खंड (क) में, "सात वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात्"- शब्दों को लोप किया जाएगा;
- (ii) खंड (ii) में, उप-खंड (क) में, "सात वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात्"- शब्दों को लोप किया जाएगा;
- (ख) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः-
- "(4क) कोई रेल सेवक, जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर, 2019 से पहले दस वर्ष के भीतर सात वर्ष की लगातार सेवा पूरी किए बिना हो गई हो, उसका परिवार उप-नियम (4) के अनुसार, 1 अक्टूबर,

2019 से बढ़ी हुई दरों पर कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होंगा, जो कुटुंब पेंशन दिए जाने के लिए अन्य शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन होगा।";

- 6. उक्त नियम के नियम 94 में, विद्यमान खंडों के लिए, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-
- "(क) कुटुंब पेंशन, 1964 के प्रयोजन के लिए, यदि मृतक रेल सेवक का परिवार नियम 75 के 5प-नियम (2) के अनुसार कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो गया है और कुटुंब पेंशन की राशि और अविध जिसके लिए यह देय है, रेल सेवक की मृत्यु की तारीख की सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर नियम (75) के उप-नियम (4) के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- (ख) मृत्यु उपदान के प्रयोजन के लिए,-
- (i) यदि मृतक रेल सेवक द्वारा की गई पूरी सेवा सत्यापित और स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं है, तो मृत्यु उपदान की राशि, रेल सेवक की मृत्यु से ठीक पहले सत्यापित और स्वीकार की गई अईक सेवा की अविध के आधार पर नियम 70 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसार अनंतिम रूप से निर्धारित की जाएगी और इस प्रकार निर्धारित मृत्यु उपदान की राशि, रेल सेवक की मृत्यु की तारीख की सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर अनंतिम आधार पर लाभार्थी को प्राधिकृत की जाएगी।
- (ii) मृत्यु उपदान की अंतिम राशि कार्यालय प्रमुख द्वारा अनंतिम मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए प्राधिकार जारी किए जाने की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर उसके द्वारा सेवा की पूरी अवधि की स्वीकृति और सत्यापन पर निर्धारित की जाएगी और मृत्यु उपदान की अंतिम राशि के निर्धारण के परिणामस्वरूप देय होने वाली शेष राशि, यदि कोई हो, लाभार्थी को प्राधिकृत की जाएगी।"
- 7. "प्ररूप 16" के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

"प्ररूप 16"

[नियम 93(1), 95(1), 95(5) एवं 97(1) देखें]

किसी रेल कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान के भुगतान का निर्धारण एवं प्राधिकृतीकरण

भाग-I

खंड ।

1. मृतक का विवरणः

(क) नाम		
(ख) माता/पिता का नाम	(ग) जन्म तिथि	
(घ)मृ त्यु की तारीख	(इ) धर्म	

2. मृत्यु के समय धारित पदः

(क) कार्यालय का नाम		
(ख) अधिष्ठायी पद	(ग) स्थानापन्न पद	
(घ) वेतन मेट्रिक्स में	(इ) मूल वेतन	
वेतन स्तर		
(च) यदि अंतिम पद विदेश सेवा शर्तीं	पर सरकार के बाहर धारित किया गया था	
(छ) मूल विभाग में	(ज) मूल वेतन	
धारित पद का स्तर		
(झ) मिलिट्री सेवा की कुल अवधि, र्या	दे कोई हो, जिसके लिए पेंशन एवं/या	
उपदान की मंजूरी दी गई थी		
(ञ) मिलिट्री सेवा के	(ट) मिलिट्री सेवा के	
लिए प्राप्त कोई	लिए प्राप्त पेंशन/उपदान	
पेंशन/उपदान की राशि	की प्रकृति	
3. सेवा शुरू होने की	4. सेवा समाप्त होने की	
तारीख	तारीख	

5. स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवा, यदि कोई हो

सेवा विवरण

(क) संस्था का नाम	(ख) धारित पद	(ग) सेवा की अवधि			
			से तक		कुल अवधि
(घ) क्या सरकार द्वारा उप	 पदान की गणना में उपरोर	क सेवा गण्य हं	ोगा	<u> </u> हां	नर्ह

(इ) क्या स्वायत्त संगठन ने रेलवे को अपनी पेंशन देयता का निर्वहन किया है		हां	नहीं
(च) पिछली सिविल सेवा	(छ) पिछली सिविल सेवा के		4.4.
के लिए प्राप्त कोई	लिए प्राप्त पेंशन/उपदान की		
पेंशन/उपदान की राशि, यदि	प्रकृति, यदि कोई हो		
कोई हो			

6. मृत्यु उपदान के लिए अहर्ता प्राप्त सेवा:

(ख) गैर अर्हक सेवा की अवधि	से	तक	दिनो की संख्या
नियम 42 और 43 के अधीन माफ की गयी			
सेवा में अवरोध की अवधि			
उपदान के लिए गैर अर्हक असाधारण अवकाश			
गैर अर्हक निलंबन की अवधि			
बालक सेवा (नियम 20 का द्वितीय परंतुक)			
संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ विदेश सेवा की			
अवधि जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र पेंशन के			
लाभान्वित है (नियम ४६)			
अन्य कोई गैर अर्हक सेवा			
गैर अर्हक सेवा की कुल अवधि			
(ग) अर्हक सेवा के लिए परिवर्धन:	से	तक	दिनो की संख्या
सिविल (रेलवे सहित) सेवा (नियम 33)			
मिलिट्री सेवा (नियम 34)			
एक स्वायत्त निकाय में सेवा का लाभ			
अर्हक सेवा की कुल अवधि	*		
(घ) शुद्ध अर्हक सेवा			
(इ) समपन्न छमाही (तीन महीने एवं उससे अधिव	न की अवधि	को सम्पन्न छमाही वे	रूप माना
जाएगा) के रूप में अभिव्यक्त अर्हक सेवा			

1	1	
साश		

9. मृत्यु उपदान से वसूले जाने वाले सरकारी या रेलवे को देय राशि का विवरण:-

(क) सरकारी या रेलवे आवास के दखल के लिए लाइसेंस शुल्क	
(ख) संपदा निदेशालय/इंजीनियरींग विभाग द्वारा निर्देशानुसार रोकी	
जाने वाली राशि	
(ग) नियम 98 (2) में निर्दिष्ट बकाया राशि	
(घ) मृत्यु उपदान के रूप में देय शुद्ध राशि	

10. नामांकित व्यक्ति (ओं) का विवरण जिन्हें मृत्यु उपदान देय है:

क्र. सं.	(क) नाम	(ख) जन्म तिथि		(घ) मृतक रेलवे	(ङ) पता
		(दिदि/मि/वववव)	उपदान में हिस्स	ाकमचारा के साथ संबंध	2
1.					
2.					
3.					

11. अभिभावक/नामांकित व्यक्ति का विवरण जो नाबालिग /मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के मामले में मृत्यु उपदान का भुगतान प्राप्त करेगा

क्र. सं.	(क) नाबालिग/मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे का नाम	(ग) मृतक रेलवे कर्मचारी के साथ	(घ) अभिभावक का पता
		संबंध	

12. कुटुंब पेंशन के भुगतान का विवरण

कुटुंब पेंशन की दर	कुटुंब पेंशन की राशि	वह अव	धि जिसके लिए	यह देय है
		से	तक	कुल अवधि
(क) बढ़ी हुई दर [नियम				
75(4)]				
(ख) साधारण दर [नियम				
75(2)]				
(ग) नियम 75(3क) के				
अधीन वृद्ध कुटुंब पेंशनभोगी,				
यदि कोई हो, को आज की				
तारीख के अनुसार अतिरिक्त		,		
परिवारिक पेंशन, यदि कोई हो,				
प्रदान की जाती है।				

13. वे व्यक्ति जिन्हें कुटुंब पेंशन देय है:

(क) नाम	(ख) मृतक रेलवे कर्मचारी के साथ संबंध		
(ग) डाक का पता			
फ्लॅट/मकान सं/भवन का नाम	सड़क/इलाका		
गांव और डाकघर/ब्लॉक	शहर और जिला		
राज्य	पिन कोड		
टेलीफोन नंबर/मोबाइल	ईमेल आईडी		

14. अभिभावक का विवरण जो नाबालिग/मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के मामले में कुटुंब पेंशन का भुगतान प्राप्त करेगा

क्र. सं.	(क) नाबालिग/मानसिक	(ख) अभिभावक का नाम	(ग) मृतक रेलवे	(ঘ)
	रूप से दिव्यांग बच्चे का		कर्मचारी के साथ संबंध	अभिभावक का
	नाम			पता

1.		1	7
2.			
3.			
लेखा-शीर्ष, जिसके	लिए मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंश	न डेबिट योग्य हैं	<u> </u>
			X
स्थान:			
तारीख:			
	(कार्यालय प्रमुख के	हस्ताक्षर)	

खंड II

नियम 96 के अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा आहरित और संवितरित की जाने वाली अनंतिम कुटुंब पेंशन और उपदान का विवरण

	रपये प्रति माह
अनंतिम कुटुंब पेंशन	
मृत्यु उपदान [धारा । के मद १ (घ) में	
उल्लिखित राशि]	रुपये प्रति माह
स्थान : तारीख:	(कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर)

भाग II

खाता सम्मिलन

			_					
पेंशन				दु	टुंब	पेंश	न की रा	शি
सार निय	ग म 7:	5(3व	ह) वे	5				
	•					ix .		
	सार निय	सार नियम 7:	सार नियम 75(3व	सार नियम 75(3क) वे	सार नियम 75(3क) के			

खंड II

मृतक रेलवे कर्मचारी का विवरण	
नाम	मृत्यु की तारीख
अधिकृत कुटुंब पेंशन की राशि	अधिकृत उपदान की राशि
कुटुंब पेंशन शुरू होने की तारीख	उपदान से वसूली योग्य राशि
खाता प्रमुख, जिसके लिए मृत्यु उपदान उ	भौर कुटुंब पेंशन डेबिट योग्य हैं
'नो डिमांड सर्टिफिकेट' की प्राप्ति लंबित हो	ने तक
रोकी गई उपदान की राशि	

स्थान: तारीख:

(लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर)

8. प्ररूप 20 के पश्चात्, प्ररूप 21 अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"प्ररूप 21"

[नियम 55(3) देखिये]

चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्ररूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमनें में के पुत्र की सावधानीपूर्वक जांच की है। उसकी आयु उसके बयान के अनुसार वर्ष और अनुमानित तौर पर वर्ष हैं। मैं/(हम) को (यहां रोग या कारण बताएं) के परिणामस्वरूप उस विभाग, जिससे वे संबंधित हैं, में किसी भी प्रकार की आगे की सेवा के लिए पूरी तरह से और स्थायी रूप से अयोग्य मानते हैं।
(यदि अक्षमता पूर्ण और स्थायी प्रतीत नहीं होती है, तो प्रमाण पत्र को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए और निम्नलिखित को जोड़ दिया जाना चाहिए)
मेरा/हमारा यह विचार है कि महीने के आराम करने के पश्चात पहले जो सेवा वह कर रहा था उससे कम परिश्रमी प्रकति की सेवा करने योग्य है एवं आगे भी योग्य रहेगा।
स्थान तारीख

चिकित्सा प्राधिकरण

स्पष्टीकरण ज्ञापनः

रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 75 के उप-नियम (4क) में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे रेल कर्मचारी के परिवार को कुटुंब पेंशन के भुगतान का उपबंध है जो 1 अक्टूबर, 2019 से पहले दस वर्ष के भीतर सात वर्ष की निरंतर सेवा पूरी किए बगैर मर जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण-1: नियम 55 और नियम 75 में संशोधन क्रमशः 4 जनवरी, 2019 और 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी माने जाएंगे।

टिप्पण-2: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), का. अ. 930(अ) तारीख 3 दिसंबर, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. 346 (अ) तारीख 24 जून, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

(फाईल सं. डी-5/2019-एफ(ई)।।।)

अन्देश द्वामा

(बन्दना शर्मा)

कार्यपालक निदेशक, वित्त (स्थापना),

रेलवे बोर्ड

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)]

Government of India Ministry of Railways (Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2024

- G.S.R. 186(E).- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Services (Pension) Rules, 1993, namely:-
- 1. Short title and commencement:-(1) These rules may be called the Railway Services (Pension) Second Amendment Rules, 2024.
- (2) Save as otherwise provided, these rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Railway Services (Pension) Rules, 1993 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 55, the following rule shall be substituted, namely:-
- "55. Invalid Pension.- (1) In the case of a railway servant acquiring a disability, where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act) are applicable shall be governed by the provisions of the said section:

Provided that such employee shall submit a disability certificate which is issued from the competent authority as provided under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017.

(2) If a railway servant, in a case where the provisions of section 20 of the said Act, are not applicable, retires from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, he may be granted invalid pension in accordance with rule 69:

Provided that a railway servant, who retires from service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service before completing qualifying service of ten years, may also be granted invalid pension in accordance with sub-rule (2) of rule 69, subject to the conditions that the railway servant,-

- (a) has been examined by the appropriate medical authority either before his appointment or after his appointment to the railway service and declared fit by such medical authority for railway service; and
- (b) fulfills all other conditions mentioned in the rules for grant of invalid pension.

- (3) Where a railway servant referred to in sub-rule (2), applies for an invalid pension, he shall be required to submit a medical certificate of incapacity from the following medical authority, namely:-
- (a) a Medical Board in the case of a Gazetted railway servant and of a Non-gazetted railway servant whose pay, as defined in rule 1303 of the Indian Railway Establishment Code Vol.II(1987-Edition), exceeds fifty-four thousand rupees per mensem;
- (b) a Civil surgeon or a District Medical Officer or Medical Officer of equivalent status in other cases.
- Note 1: No medical certificate of incapacity for service may be granted unless the applicant produces a letter to show that the Head of his Office or Department is aware of the intention of the applicant to appear before the medical authority and the medical authority shall also be supplied by the Head of the Office or the Department in which the applicant is employed with a statement of what appears from official records to be the age of the applicant, and if a service book is being maintained for the applicant, the age recorded therein should be reported.
- Note 2: A lady doctor shall be included as a member of the Medical Board when a woman candidate is to be examined.
- (4) The Medical Certificate to be granted by the medical authority shall be such as specified in Form 21 annexed to these rules.
- (5) Where the medical authority referred to in sub-rule (3) has declared a railway servant mentioned in sub-rule (2) fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he shall, subject to his willingness to be so employed, be employed on a lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be granted invalid pension under rule 69;"
- 3. In the said rules, rules 56, 57, 58, 59, 60, 61 and 62 shall be omitted.
- 4. In the said rules, in rule 69, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- "(2) Subject to the proviso to sub-rule (2) of rule 55, in the case of a railway servant retiring in accordance with the provisions of these rules after completing qualifying service of not less than ten years, the amount of pension shall be calculated at fifty per cent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him, subject to a minimum of nine thousand rupees per mensem and maximum of one lakh twenty five thousand rupees per mensem;"
- 5. In the said rules, in rule 75,-
- (a) in sub-rule (4), -
- (i) in clause (i), in sub-clause (a), the words "after having rendered not less than seven years' continuous service" shall be omitted;

- (ii) in clause (ii), in sub-clause (a), the words "after having rendered not less than seven years' continuous service" shall be omitted.
- (b) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- "(4A) A railway servant who died within ten years before the 1st day of October, 2019, without completing continuous service of seven years, his family shall be eligible for family pension at enhanced rates, in accordance with sub-rule (4), with effect from the 1st day of October, 2019, subject to fulfillment of other conditions for grant of family pension; "
- 6. In the said rules, in rule 94, for the existing clauses the following clauses shall be substituted, namely:-
- "(a) for the purpose of Family Pension, 1964, if the family of the deceased railway servant has become eligible for family pension in accordance with the sub-rule (2) of rule 75, the amount of family pension and the period for which it is payable shall be determined in accordance with sub-rule (4) of rule 75 within one month from the date of receipt of intimation of the date of death of the railway servant.
- (b) for the purpose of death gratuity,-
- (i) if the entire service rendered by the deceased railway servant is not capable of being verified and accepted, the amount of death gratuity shall be provisionally determined in accordance with clause (b) of sub-rule (1) of rule 70 on the basis of the length of qualifying service which is verified and accepted immediately preceding the date of death of the railway servant and the amount of death gratuity, so determined shall be authorised to the beneficiary on provisional basis within one month from the date of receipt of intimation of date of death of the railway servant.
- (ii) the final amount of the death gratuity shall be determined by the Head of Office on the acceptance and verification of the entire spell of service by him within a period of six months from the date on which the authority for the payment of provisional death gratuity was issued and the balance, if any, becoming payable as a result of determination of the final amount of death gratuity shall then be authorised to the beneficiary.";
- 7. For "Form 16", the following Form shall be substituted, namely:-

"Form 16"

[See rules 93(1), 95(1), 95(5) and 97(1)]

Assessment and authorisation of payment of family pension and death gratuity when a railway servant dies while in service

Part-I

Section I

1. Details of deceased:

(a) Name						
(b) Mother's/Father's name		(c) Date of birth				
(d)Date of death		(e)R	Religion			

2. Post held at the time of death:

3. Date of beginning of service	4. Date of ending of service
(j) Amount of any pension/gratuity received for the military service	(k) Nature of any pension/gratuity received for the military service
(i) Total period of military service, gratuity was sanctioned	if any, for which pension and/or
(i) Level of pay of the post held in the parent department	(ii) Basic pay
	tside the Government on foreign service terms-
(d) Level of pay in the pay matrix	(e) Basic pay
(b) Post held substantively	(c) Officiating post
(a) Name of the office	

5. Service in autonomous body/State Government, if any

Particulars of service

(a) Name of	(b) post held	(c) Period			
organisation		From	То	Total po	eriod
(d) Whether the above s Government	l service is to be cou	nted for gratuity	in the	Yes	No
(e) Whether the autonor liability to the Railways		has discharged it	s pensionary	Yes	No
(f) Amount of any pension/gratuity receive for the previous civil service, if any	ed		of any atuity received fo as civil service, if		

6. Service qualifying for death gratuity:

ignored [under rule 79 (1)(b)(ii)	From	То	No. of days
(b)Periods of non-qualifying service:	Tiom	10	110.01 00.00
Interruption in service condoned under			
rules 42 and 43			
Extraordinary leave not qualifying for			
gratuity			
Period of suspension treated as non-			
qualifying			
Boy service (2 nd Proviso to Rule 20)			
Periods of foreign service with United			
Nations bodies for which United Nations			
pension has been availed (rule 46)			
Any other service not treated as qualifying			
service			
Total period of non-qualifying service		· ·	
(c) Additions to qualifying service:	From	То	Number of days
Civil (including railway) service (rule 33)			
Military service (rule 34)			
Benefit of service in an autonomous body			
Total period of qualifying service			
(d) Net qualifying service			a)
(e) Qualifying service expressed in terms of	of completed	six monthly periods (Period of three
months & above is to be treated as complete	ted six mon	thly period (rule 69)	
•			
7. Emoluments reckoned for death		8. Amount of	
gratuity		death gratuity	

9. Details of Government or railway dues recoverable out of death gratuity:-

(a) Licence fee for occupation of Government or railway	
accommodation	
(b) Amount to be withheld as indicated by the Directorate of Estates/Engineering Department	
(c) Dues referred to in rule 98 (2)	
(d) Net amount payable as death gratuity	

10. Details of the nominee(s) to whom death gratuity is payable:

S. No.	(a) Name	(b) Date of birth (DD/MM/YYYY)	(d) Relationship with deceased railway servant	(e) Address
1.				
2.				
3.				

11. Details of guardian/nominee who will receive payment of death gratuity in the case of minor/mentally disabled children

S.No.	(a) Name of minor/mentally disabled child	(b) Name of guardian	(c) Relationship with deceased railway servant	(d) Address of guardian

12. Details of payment of family pension

Rate of family pension	Amount of family pension	Period for which it is payable					
		From	То	Total period			
(a) Enhanced rate [rule 75(4)]							
(b) Ordinary rate [rule 75(2)]							
(c) Additional family pension, as on date, to old family pensioner, if any, under rule 75(3A)							

13. Persons to whom family pension is payable

(a) Name	(b) Relationship with the deceased railway servant
(c) Postal address	
Flat/House Number/Building Name	Street/Locality
Village and Post Office/Block	City and District
State	Pin Code
Telephone No./Mobile	Email-Id

14. Details of guardian who will receive payment of family pension in the case of minor/mentally disabled children

S. No.	(a) Name of minor/mentally disabled child	(b) Name of guardian	(c) Relationship with deceased railway Servant	(d) Address of guardian
1.				
2.				
3.		1 6 11 40	sion are dehitable	
Head	of Account to which death	gratuity and family per	ision are desitable	
Place Date:				(Signature of Head of office)

Section II

Details of provisional family pension and gratuity to be drawn and disbursed by the Head of Office in accordance with rule 96

Provisional family pension	Rspm
Death gratuity [amount mentioned in item 9(d) of Section I]	Rs
Place:	
Date:	(Signature of Head of office)

Account Enfacement

Section I

Total period of qualifying service accepted					
for death gratuity					
Total period of continuous service accepted					
for family pension					
Net amount of death gratuity after adjusting					
Government and railway dues					
Amount of family pension (Whichever is applic					
Family pension under Railway Services (Pension	n) Rules, 1993	Amount of family pension			
At enhanced rate [rule 75(4)]					
At ordinary rate [rule 75(2)]					
Additional family pension, as on date, to old far	nily pensioner, if any,				
under rule 75(3A)					
Date from which family pension is admissible					
Head of account to which death gratuity and					
family pension are debitable					
Details of deceased railway servant	tion II				
Name	Date of death				
Amount of family	Amount of gratuity				
pension	authorised				
authorised					
Date of commencement	Amount recoverable				
of family pension	from gratuity				
Head of Account to which death gratuity and fa		able			
Amount of gratuity withheld pending receipt of					
'No Demand Certificate'					
DI .					
Place:					
Date:					
Date.					
		(Signature of Accounts			
		Officer)			
		Officer)			

8. After Form 20, the Form 21 shall be inserted, namely:-

"Form 21"

[See Rule 55(3)]

Form of Medical Certificate

Certified that I/(We) have carefully examinedson of, air the
of(here state disease or cause)."

(If the incapacity does not appear to be complete and permanent, the certificate should be modified accordingly and the following addition should be made)

"I am/(We) are of the opinion that is fit for further service of a less laborious character than that which he had been doing, after resting for.....months, be fit for further service of less laborious character than that which he had been doing."

Place

Dated the

Medical Authority

Explanatory Memorandum:

Sub-rule (4A) of rule 75 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, inter alia, provide for payment of family pension to the family of a Railway servant who dies within ten years before 1st day of October, 2019, without completing continuous service of seven years. It is certified that none shall be adversely affected by giving retrospective effect to the amendment.

Note-1: The amendments in rule 55 and rule 75 shall be deemed to have come into force with effect from 4th January, 2019 and 1st October, 2019 respectively.

Note-2: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 930(E), dated the 3rd December, 1993 and was last amended vide G.S.R. 346(E), dated the 24th June, 2024.

(File No.D-5/2019-F(E)III)

(Bandana Sharma)

Executive Director, Finance (Establishment),

Railway Board.

No. D-5/2019-F(E)III

Copy forwarded to the General Managers and PFAs, All Zonal Railways & Production Units/RDSO etc. (As per the standard mailing list)

(G. Priya Sudarsani) Director Finance(Estt.) Railway Board

No. D-5/2019-F(E)III

New Delhi, Dated: 30.07.2024.

New Delhi, Dated: 30.07.2024.

Copy to:

Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No. 222, Rail Bhawan, New Delhi.

G. Riya Su class ani
For Member Finance, Railway Board

No. D-5/2019-F(E)III

New Delhi, Dated: 30.07.2024.

Copy to:-

- 1. The General Secretary, NFIR, Room No. 256-E, Rail Bhawan, New Delhi.
- 2. The General Secretary, AIRF, Room No. 253, Rail Bhawan, New Delhi.
- 3. The Members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side, National Council, 13-C, Feroz Shah Road, New Delhi.
- 4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-A, Rail Bhawan, New Delhi.
- 5. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
- 6. The Secretary, RBSS, Group 'A' Officers Association, Rail Bhawan.
- 7. The Secretary, RBSS, Group 'B' Officers Association.
- 8. The General Secretary, RBSSSA, Room No. 451-A, Rail Bhawan, New Delhi.

- 9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association.
- 10. The Secretary, Railway Board Class IV staff Association.
- 11. The General Secretary, All India SC/ST Railway Employees Association, Room No. 7, Ground Floor, Rail Bhawan, New Delhi
- 12. The General Secretary, All India O.B.C. Railway Employees Federation (AIOBCREF), Room No.48, Rail Bhawan.

For Principal Executive Director (IR), Railway Board.

No. D-5/2019-F(E)III

New Delhi, Dated: 30 .07.2024.

Copy to:-

Adv. to MR, EDPG to MR, OSD to MR, OSD (Co-ord) to MR, PS to MoSR(D), EDPG to MoSR(D), PS to MoSR(J), EDPG to MoSR(J), DPG to MoSR(J).

PSOs/Sr.PPSs/PPSs to CRB, MF, M/O&BD, M/Infra, M/TRS.

DG/HR, DG/Safety, DG(RHS), DG(RPF).

All Addl. Members, PEDs, All EDs, JSs.

Pay & Accounts Officer, M/o Railways (Railway Board).

No. D-5/2019-F(E)III

New Delhi, Dated: 30.07.2024.

Copy also to:-

- 1. The DGs, IRICEN/Pune, IRIEEN/Nasik Road. IRIMEE/Jamalpur, IRISET/Secunderabad.
- 2. The CMDs, IRCON, IRFC, MRVC, IRC&TC, CONCOR, RITES, KRCL, RVNL, Railtel and MDs, CRIS, IRWO.
- 3. The Vice Chairman, Rail Land Development Authority, New Delhi.
- 4. The Registrar, RCT/Delhi.
- 5. Chairmen of all RRBs.
- 6. The Chief Commissioner of Railway Safety/ Lucknow

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082024-256180 CG-DL-E-08082024-256180

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447]

नई दिल्ली बुधवार, अगस्त 7, 2024/ श्रावण 16, 1946

No. 447]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024/ SHRAVANA 16, 1946

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसचना

नई दिल्ली 30 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 486(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं. अर्थात:

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः- (1) इन नियमों का नाम रेल सेवा (पेंशन) द्वितीय संशोधन नियम, 2024 है।
- (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 55 के लिए, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :
- "55. अशक्तता पेंशन (1) रेल सेवक के दिव्यांग होने के मामले में, जहां दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के खंड 20 के उपबंध लागू होते हैं, उक्त खंड के उपबंधों द्वारा शासित होंगे:

5001 GI/2024 (1)

परंतु यह कि ऐसा कर्मचारी एक दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा जो दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।

(2) यदि कोई रेल सेवक, ऐसे मामले में, जहां उक्त अधिनियम के खंड 20 के उपबंध लागू नहीं होते हैं, किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता, जो उसे सेवा के लिए स्थायी तौर पर अक्षम बनाती है के कारण सेवा से सेवानिवृत्त होता है तो उसे नियम 69 के अनुसार अशक्तता पेंशन दी जा सकती है।

परंतु यह कि रेल सेवक, जो किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता जो उसे स्थायी तौर पर अक्षम बनाती है, के कारण दस वर्ष की अर्हक सेवा करने से पूर्व, सेवा से सेवानिवृत्त होता है, तो उसे भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियम 69 के उप-नियम (2) के अनुसार अशक्तता पेंशन दी जा सकेगी:-

- (क) उसकी रेल सेवा में नियुक्ति से पहले अथवा नियुक्ति के बाद उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जांच की गई हो और उसे रेल सेवा के लिए ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा योग्य घोषित किया गया हो; और
- (ख) अशक्तता पेंशन दिए जाने वाले के लिए नियम में उल्लिखित अन्य सभी शर्तों को पूरा करता हो।
- (3) जहां उप-नियम (2) में निर्दिष्ट, कोई रेल सेवक अशक्तता पेंशन के लिए आवेदन करता है, तो उसे निम्नलिखित चिकित्सा प्राधिकारी से असमर्थता चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, अर्थात् :-
- (क) राजपत्रित रेल सेवक, और ऐसे अराजपत्रित रेल सेवक जिनका भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द II (1987-संस्करण) के नियम 1303 में यथा-परिभाषित वेतन चौवन हजार रुपए प्रतिमाह से अधिक है, के मामले में चिकित्सा बोर्ड द्वारा;
- (ख) अन्य मामलों में किसी सिविल सर्जन या जिला चिकित्सा अधिकारी या समकक्ष स्तर का चिकित्सा अधिकारी।

टिप्पण 1: जबतक कि आवेदक यह दर्शाते हुए एक पत्र प्रस्तुत न कर दे कि उसके कार्यालय या विभाग के प्रमुख को आवेदक के चिकित्सा प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के आशय की जानकारी है तथा चिकित्सा प्राधिकारी को कार्यालय या विभाग के प्रमुख द्वारा आवेदक की आयु के बारे में आधिकारिक अभिलेखों से स्पष्ट होने वाला एक विवरण भी उपलब्ध कराया जाएगा तथा यदि आवेदक के लिए सेवा पुस्तिका का रखरखाव किया जा रहा है तो उसमे अभिलिखित आयु सूचित की जानी चाहिए।

टिप्पण 2 : जब किसी महिला अभ्यर्थी का परीक्षण किया जाना हो तो एक महिला डॉक्टर को भी चिकित्सा बोर्ड के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

- (4) चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिया जाने वाला चिकित्सा प्रमाणपत्र इन नियमों के साथ अनुबद्ध प्ररूप 21 में यथा-निर्दिष्ट होगा।
- (5) जहां उप-नियम (3) में निर्दिष्ट चिकित्सा प्राधिकारी ने उप-नियम(2) में उल्लिखित किसी रेल सेवक को उसके द्वारा की जा रही सेवा से कम श्रम वाली आगे की सेवा के लिए योग्य घोषित किया है तो ऐसे नियोजित होने की उसकी इच्छा के अध्यधीन, निम्नतर पद पर नियोजित किया जाएगा और यदि उसे निम्नतर पद पर नियोजित करने का कोई उपाय न हो, तो उसे नियम 69 के अंतर्गत अशक्तता पेंशन दी जा सकती है।
- 3. उक्त नियमों में, नियम 56, 57, 58, 59, 60, 61 और 62 का लोप कर दिया जाएगा।
- 4. उक्त नियमों में, नियम 69 के उप-नियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

- "(2) नियम 55 के उप-नियम (2) के परंतुक के अध्यधीन, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार कम से कम दस वर्ष की अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले रेल सेवक के मामले में पेंशन की राशि की गणना वेतन के पचास प्रतिशत पर या औसत वेतन पर की जाएगी, इनमें से जो भी उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, जो कि न्यूनतम नौ हजार रूपए प्रतिमाह और अधिकतम एक लाख पच्चीस हजार रूपये प्रतिमाह के अध्यधीन होगा।"
- 5. उक्त नियम में, नियम 75,-
- (क) उप-नियम (4) में,-
- (i) खंड (i) में, उप-खंड (क) में, "सात वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात्"- शब्दों को लोप किया जाएगा:
- (ii) खंड (ii) में, उप-खंड (क) में, "सात वर्ष से अन्यून की लगातार सेवा कर चुकने के पश्चात्"- शब्दों को लोप किया जाएगा;
- (ख) उप-नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "(4क) कोई रेल सेवक, जिसकी मृत्यु 1 अक्टूबर, 2019 से पहले दस वर्ष के भीतर सात वर्ष की लगातार सेवा पूरी किए बिना हो गई हो, उसका परिवार उप-नियम (4) के अनुसार, 1 अक्टूबर, 2019 से बढ़ी हुई दरों पर कुटुंब पेंशन के लिए पात्र होंगा, जो कुटुंब पेंशन दिए जाने के लिए अन्य शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन होगा।";
- 6. उक्त नियम के नियम 94 में, विद्यमान खंडो के लिए, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-
- "(क) कुटुंब पेंशन, 1964 के प्रयोजन के लिए, यदि मृतक रेल सेवक का परिवार नियम 75 के उप-नियम (2) के अनुसार कुटुंब पेंशन के लिए पात्र हो गया है और कुटुंब पेंशन की राशि और अवधि जिसके लिए यह देय है, रेल सेवक की मृत्यु की तारीख की सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर नियम (75) के उप-नियम (4) के अनुसार निर्धारित की जाएगी।
- (ख) मृत्यु उपदान के प्रयोजन के लिए,-
- (i) यदि मृतक रेल सेवक द्वारा की गई पूरी सेवा सत्यापित और स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं है, तो मृत्यु उपदान की राशि, रेल सेवक की मृत्यु से ठीक पहले सत्यापित और स्वीकार की गई अर्हक सेवा की अविध के आधार पर नियम 70 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसार अनंतिम रूप से निर्धारित की जाएगी और इस प्रकार निर्धारित मृत्यु उपदान की राशि, रेल सेवक की मृत्यु की तारीख की सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर अनंतिम आधार पर लाभार्थी को प्राधिकृत की जाएगी।
- (ii) मृत्यु उपदान की अंतिम राशि कार्यालय प्रमुख द्वारा अनंतिम मृत्यु उपदान के भुगतान के लिए प्राधिकार जारी किए जाने की तारीख से छः माह की अवधि के भीतर उसके द्वारा सेवा की पूरी अवधि की स्वीकृति और सत्यापन पर निर्धारित की जाएगी और मृत्यु उपदान की अंतिम राशि के निर्धारण के परिणामस्वरूप देय होने वाली शेष राशि, यदि कोई हो, लाभार्थी को प्राधिकृत की जाएगी।"
- 7. "प्ररूप 16" के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप 16"

[नियम 93(1), 95(1), 95(5) एवं 97(1) देखें]

किसी रेल कर्मचारी की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर कुटुंब पेंशन और मृत्यु उपदान के भुगतान का निर्धारण एवं प्राधिकृतीकरण

भाग-।

खंड ।

4			\sim	
1	मतक	का	Iaa	रण:
• •	500	4.4		٠.,

(क) नाम										
(ख) माता/	'पिता	का नाम	T			(ग) जन्म तिथि				
(घ)मृत्यु की तारीख						(ड़) धर्म				

2. मृत्यु के समय धारित पद:

(क) कार्यालय का नाम			
(ख) अधिष्ठायी पद		(ग) स्थानापन्न पद	
(घ) वेतन मेट्रिक्स में वेतन		(ड़) मूल वेतन	
स्तर			
(च) यदि अंतिम पद विदेश सेव	ा शर्तों पर सरकार के बाहर धा	रित किया गया था	
(छ) मूल विभाग में धारित पद		(ज) मूल वेतन	
का स्तर			
(झ) मिलिट्री सेवा की कुल अव मंजूरी दी गई थी	धि, यदि कोई हो, जिसके लिए	पेंशन एवं/या उपदान की	
(ञ) मिलिट्री सेवा के लिए		(ट) मिलिट्री सेवा के लिए प्राप्त	
प्राप्त कोई पेंशन/उपदान की		पेंशन/उपदान की प्रकृति	
राशि			
3. सेवा शुरू होने की तारीख		4. सेवा समाप्त होने की	
		तारीख	

5. स्वायत्त निकाय/राज्य सरकार के अधीनस्थ सेवा, यदि कोई हो

सेवा विवरण

(क) संस्था का नाम	(ख) धारित पद	(ग) सेवा की अवधि					
		से	तक		कुल अवधि		
(घ) क्या सरकार द्वारा उपदान की गणना में उपरोक्त सेवा गण्य होगा					हां नहीं		
(ड़) क्या स्वायत्त संगठन ने रेलवे को अपनी पेंशन देयता का निर्वहन किया है					हां नहीं		

(च) पिछली सिविल सेवा के	(छ) पिछली सिविल सेवा के लिए	
लिए प्राप्त कोई पेंशन/उपदान की	प्राप्त पेंशन/उपदान की प्रकृति, यदि	
राशि, यदि कोई हो	कोई हो	

6. मृत्यु उपदान के लिए अहर्ता प्राप्त सेवा:

(क) सेवा पुस्तिका में लोप, अपूर्णता या कमियों का विवरण	ग जिन्हें अनदेखा व <u>ि</u>	ज्या गया है [नियम 79 (1) (ख) (ii) के अधीन]
(ख) गैर अर्हक सेवा की अवधि	से	तक	दिनो की संख्या
नियम 42 और 43 के अधीन माफ की गयी सेवा में अवरोध की अवधि			
उपदान के लिए गैर अर्हक असाधारण अवकाश			
गैर अर्हक निलंबन की अवधि			
बालक सेवा (नियम 20 का द्वितीय परंतुक)			
संयुक्त राष्ट्र निकायों के साथ विदेश सेवा की अवधि जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र पेंशन के लाभान्वित है (नियम 46)			
अन्य कोई गैर अर्हक सेवा			
गैर अर्हक सेवा की कुल अवधि			
(ग) अर्हक सेवा के लिए परिवर्धन:	से	तक	दिनो की संख्या
सिविल (रेलवे सहित) सेवा (नियम 33)			
मिलिट्री सेवा (नियम 34)			
एक स्वायत्त निकाय में सेवा का लाभ			
अर्हक सेवा की कुल अवधि			
(घ) शुद्ध अर्हक सेवा			
(ड़) समपन्न छमाही (तीन महीने एवं उससे अधिक की अव अर्हक सेवा	धि को सम्पन्न छमा	ही के रूप माना जाएगा)	के रूप में अभिव्यक्त
7. मृत्यु उपदान के लिए गण्य परिलब्धियां		8. मृत्यु उपदान की राशि	

9. मृत्यु उपदान से वसूले जाने वाले सरकारी या रेलवे को देय राशि का विवरण:-

(क) सरकारी या रेलवे आवास के दखल के लिए लाइसेंस शुल्क	
(ख) संपदा निदेशालय/इंजीनियरींग विभाग द्वारा निर्देशानुसार रोकी जाने वाली राशि	
(ग) नियम 98 (2) में निर्दिष्ट बकाया राशि	
(घ) मृत्यु उपदान के रूप में देय शुद्ध राशि	

10. नामांकित व्यक्ति (ओं) का विवरण जिन्हें मृत्यु उपदान देय है:

क्र. सं.	(क) नाम	(ख) जन्म तिथि (दिदि/मि/वववव)	_	(घ) मृतक रेलवे कर्मचारी के साथ संबंध	(ङ) पता
1.					
2.					
3.					

11. अभिभावक/नामांकित व्यक्ति का विवरण जो नाबालिग /मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों के मामले में मृत्यु उपदान का भुगतान प्राप्त करेगा

क्र. सं.	(क) नाबालिग/मानसिक रूप से	(ख) अभिभावक का	(ग) मृतक रेलवे	(घ) अभिभावक का पता
	दिव्यांग बच्चे का नाम	नाम	कर्मचारी के साथ संबंध	

12. कुटुंब पेंशन के भुगतान का विवरण

कुटुंब पेंशन की दर	कुटुंब पेंशन की	वह अवधि जिसके लिए यह देय है								
	राशि	से	तक	कुल अवधि						
(क) बढ़ी हुई दर [नियम 75(4)]										
(ख) साधारण दर [नियम 75(2)]										
(ग) नियम 75(3क) के अधीन वृद्ध										
कुटुंब पेंशनभोगी, यदि कोई हो, को										
आज की तारीख के अनुसार अतिरिक्त										
परिवारिक पेंशन, यदि कोई हो,										
प्रदान की जाती है।										

13. वे व्यक्ति जिन्हें कुटुंब पेंशन देय है:

(क) नाम		(ख) मृतक रेलवे कर्मचारी	मृतक रेलवे कर्मचारी के साथ संबंध							
(ग) डाक का पता										
फ्लॅट/मकान सं/भव	न का	सड़क/इलाका								
नाम										
गांव और डाकघर/ब	ज्लॉक -	शहर और जिला								
राज्य		पिन कोड								
टेलीफोन नंबर/मोब	गइल	ईमेल आईडी								

[भाग II—खण्ड 3(ii)]	भारत का राजपत्र : असाधारण	7

		\sim			> 0 ·	~ ~ ~	·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		`
14	. आभभावक का	विवरण जा	' नाबालिग/	मानसिक रूप	स दिव्या	ग बच्चा क	मामल म	कुटुब पेशन व	का भुगतान प्राप्त <mark>व</mark>	हरग

क्र. सं.	(क) नाबालिग/मानसिक रूप से	(ख) अभिभावक का नाम	(ग) मृतक रेलवे कर्मचारी	(घ) अभिभावक
	दिव्यांग बच्चे का नाम		के साथ संबंध	का पता
1.				
2.				
3.				
लेखा-शीर्ष,	जिसके लिए मृत्यु उपदान और कुटुं	ब पेंशन डेबिट योग्य हैं		
स्थान:				
तारीख:			(कार्यालय प्रमुख के ह	इस्ताक्षर)
				,

खंड II

नियम 96 के अनुसार कार्यालय प्रमुख द्वारा आहरित और संवितरित की जाने वाली अनंतिम कुटुंब पेंशन और उपदान का विवरण

	 रुपये प्रति माह
अनंतिम कुटुंब पेंशन	
मृत्यु उपदान [धारा l के मद 9 (घ) में उल्लिखित	
राशि]	 रुपये प्रति माह
स्थान :	
तारीख:	
	(कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर)

भाग II

खाता सम्मिलन

खंड I

मृत्यु उपदान के लिए स्वीकार की जाने वाली अर्हक सेवा की कुल अवधि	
कुटुंब पेंशन के लिए स्वीकृत निरंतर सेवा की कुल अवधि	

सरकार और रेलवे की बकाया राशि के समायोजन के बाद											
मृत्यु उपदान की निवल राशि											
कुटुंब पेंशन की राशि (जो भी लागू हो)						• ~	• _	<u> </u>			
रेलवे सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के अधीन कुटुंब पेंशन					कु	टुब प	शन	की रार्ग	श		
बढ़ी हुई दर पर [नियम 75(4)]											
साधारण दर पर [नियम 75(2)]											
वृद्ध कुटुंब पेंशनभोगी, को आज की तारीख के अनुसार नियम	र 75(3 ^व	ह) के अं	ांतर्गत								
अतिरिक्त कुटुंब पेंशन, यदि कोई हो,											
वह तारीख जिससे कुटुंब पेंशन स्वीकार्य है											
खाता प्रमुख जिसके लिए मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन											
डेबिट योग्य हैं											
_	<u>. </u>										
	ब्रंड II										7
मृतक रेलवे कर्मचारी का विवरण	मृत्यु र्व	ने चारी						1		1	-
नाम											4
अधिकृत कुटुंब पेंशन की राशि	अधिकृ राशि	त उपद	ान के	र्ग							
का रााश कुटुंब पेंशन शुरू होने की		ा से वस्	ग्ली र	गेका	 राशि						-
तारीख	31411	। रा अर्	Yan a	1119	(1151						
खाता प्रमुख, जिसके लिए मृत्यु उपदान और कुटुंब पेंशन डेबि	- वेट योग्य	हैं									
'नो डिमांड सर्टिफिकेट' की प्राप्ति लंबित होने तक रोकी गई											1
उपदान की राशि											
स्थान:											
तारीख:											
mora.						(लेक	ना अर्थ	शकार्य	ने के ब	स्ताक्ष	-/
						(414	वा जा	वसगर	<u>। पः ह</u>	रताका	7
8. प्ररूप 20 के पश्चात्, प्ररूप 21 अंतः स्थापित किया जाएर	गा, अथो	त्: -									
"प्रर	रूप 21 "										
[नियम 5	5(3) देर्ा	खेये]									
चिकित्सा प्रम	ाण पत्र	का प्ररू	प								
यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमनें र	में						के '	पत्र			की
सावधानीपूर्वक जांच की है। उसकी आयु उसके बयान के अ											
मैं/(हम) को (यहां रोग या कारण	-					-					-
किसी भी प्रकार की आगे की सेवा के लिए पूरी तरह से और											.* `
्यदि अक्षमता पूर्ण और स्थायी प्रतीत नहीं होती है, तो							ाकिः	या जा	ना च	हिए :	और
निम्नलिखित को जोड़ दिया जाना चाहिए)	વવાવ	, , ,,	. \14	ر. ۱۱۰ کی	· /171			., -,,	11 7	62	~11 \

भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 9

मेरा/हमारा यह विचार है कि महीने के आराम करने के पश्चात पहले जो सेवा वह कर रहा था उससे कम परिश्रमी प्रकति की सेवा करने योग्य है एवं आगे भी योग्य रहेगा।

स्थान

तारीख.....

चिकित्सा प्राधिकरण

स्पष्टीकरण ज्ञापन:

रेल सेवा (पेंशन) नियम, 1993 के नियम 75 के उप-नियम (4क) में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे रेल कर्मचारी के परिवार को कुटुंब पेंशन के भुगतान का उपबंध है जो 1 अक्टूबर, 2019 से पहले दस वर्ष के भीतर सात वर्ष की निरंतर सेवा पूरी किए बगैर मर जाता है। यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

टिप्पण-1: नियम 55 और नियम 75 में संशोधन क्रमशः 4 जनवरी, 2019 और 1 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी माने जाएंगे।

टिप्पण-2: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii), का. अ. 930(अ) तारीख 3 दिसंबर, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. 346 (अ) तारीख 24 जून, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया।

[फा. सं. डी-5/2019-एफ(ई)|||]

बन्दना शर्मा, कार्यपालक निदेशक, वित्त (स्थापना),

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2024

- **G.S.R. 486(E).** - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Railway Services (Pension) Rules, 1993, namely:-
- 1. Short title and commencement:-(1) These rules may be called the Railway Services (Pension) Second Amendment Rules, 2024.
- (2) Save as otherwise provided, these rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Railway Services (Pension) Rules, 1993 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 55, the following rule shall be substituted, namely:-
- "55. Invalid Pension.- (1) In the case of a railway servant acquiring a disability, where the provisions of section 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act) are applicable shall be governed by the provisions of the said section:

Provided that such employee shall submit a disability certificate which is issued from the competent authority as provided under the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017.

(2) If a railway servant, in a case where the provisions of section 20 of the said Act, are not applicable, retires from the service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service, he may be granted invalid pension in accordance with rule 69:

Provided that a railway servant, who retires from service on account of any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for the service before completing qualifying service of ten years, may also be granted invalid pension in accordance with sub-rule (2) of rule 69, subject to the conditions that the railway servant,-

- (a) has been examined by the appropriate medical authority either before his appointment or after his appointment to the railway service and declared fit by such medical authority for railway service; and
- (b) fulfills all other conditions mentioned in the rules for grant of invalid pension.
- (3) Where a railway servant referred to in sub-rule (2), applies for an invalid pension, he shall be required to submit a medical certificate of incapacity from the following medical authority, namely:-
- (a) a Medical Board in the case of a Gazetted railway servant and of a Non-gazetted railway servant whose pay, as defined in rule 1303 of the Indian Railway Establishment Code Vol.II(1987-Edition), exceeds fifty-four thousand rupees per mensem;
- (b) a Civil surgeon or a District Medical Officer or Medical Officer of equivalent status in other cases.
- **Note 1**: No medical certificate of incapacity for service may be granted unless the applicant produces a letter to show that the Head of his Office or Department is aware of the intention of the applicant to appear before the medical authority and the medical authority shall also be supplied by the Head of the Office or the Department in which the applicant is employed with a statement of what appears from official records to be the age of the applicant, and if a service book is being maintained for the applicant, the age recorded therein should be reported.
- Note 2: A lady doctor shall be included as a member of the Medical Board when a woman candidate is to be examined.
- (4) The Medical Certificate to be granted by the medical authority shall be such as specified in Form 21 annexed to these rules.
- (5) Where the medical authority referred to in sub-rule (3) has declared a railway servant mentioned in sub-rule (2) fit for further service of less laborious character than that which he had been doing, he shall, subject to his willingness to be so employed, be employed on a lower post and if there be no means of employing him even on a lower post, he may be granted invalid pension under rule 69;"
- 3. In the said rules, rules 56, 57, 58, 59, 60, 61 and 62 shall be omitted.
- 4. In the said rules, in rule 69, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- "(2) Subject to the proviso to sub-rule (2) of rule 55, in the case of a railway servant retiring in accordance with the provisions of these rules after completing qualifying service of not less than ten years, the amount of pension shall be calculated at fifty per cent of emoluments or average emoluments, whichever is more beneficial to him, subject to a minimum of nine thousand rupees per mensem and maximum of one lakh twenty five thousand rupees per mensem;"
- 5. In the said rules, in rule 75,-
- (a) in sub-rule (4), -
- (i) in clause (i), in sub-clause (a), the words "after having rendered not less than seven years' continuous service" shall be omitted;
- (ii) in clause (ii), in sub-clause (a), the words "after having rendered not less than seven years' continuous service" shall be omitted.
- (b) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- "(4A) A railway servant who died within ten years before the 1st day of October, 2019, without completing continuous service of seven years, his family shall be eligible for family pension at enhanced rates, in accordance with sub-rule (4), with effect from the 1st day of October, 2019, subject to fulfillment of other conditions for grant of family pension; "
- 6. In the said rules, in rule 94, for the existing clauses the following clauses shall be substituted, namely:-
- "(a) for the purpose of Family Pension, 1964, if the family of the deceased railway servant has become eligible for family pension in accordance with the sub-rule (2) of rule 75, the amount of family pension and the period for which it is payable shall be determined in accordance with sub-rule (4) of rule 75 within one month from the date of receipt of intimation of the date of death of the railway servant.
- (b) for the purpose of death gratuity,-
- (i) if the entire service rendered by the deceased railway servant is not capable of being verified and accepted, the amount of death gratuity shall be provisionally determined in accordance with clause (b) of sub-rule (1) of rule 70 on

the basis of the length of qualifying service which is verified and accepted immediately preceding the date of death of the railway servant and the amount of death gratuity, so determined shall be authorised to the beneficiary on provisional basis within one month from the date of receipt of intimation of date of death of the railway servant.

- (ii) the final amount of the death gratuity shall be determined by the Head of Office on the acceptance and verification of the entire spell of service by him within a period of six months from the date on which the authority for the payment of provisional death gratuity was issued and the balance, if any, becoming payable as a result of determination of the final amount of death gratuity shall then be authorised to the beneficiary.";
- 7. For "Form 16", the following Form shall be substituted, namely:-

"Form 16"

[See rules 93(1), 95(1), 95(5) and 97(1)]

Assessment and authorisation of payment of family pension and death gratuity when a railway servant dies while in service

Part-I Section I

1. Details of deceased:

(a) Name												
(b) Mother's/Father's name				(c) Date of birth								
(d)Date of death							(e)Religio	n				

2. Post held at the time of death:

(a) Name of the office		
(b) Post held substantively	(c) Officiating post	
(d) Level of pay in the pay matrix	(e) Basic pay	
(f) In case the last post was h	eld outside the Government on foreign service terms-	
(i) Level of pay of the post held in the parent department	(ii) Basic pay	
(i) Total period of military se sanctioned	rvice, if any, for which pension and/or gratuity was	
(j) Amount of any pension/gratuity received for the military service	(k) Nature of any pension/gratuity received for the military service	
3. Date of beginning of service	4. Date of ending of service	

5. Service in autonomous body/State Government, if any

Particulars of service

(a) Name of organisation	(b) post held	(c) Period of service			
		From	То	Total p	eriod
(d) Whether the above service	e is to be counted for gr	ratuity in the Gove	vernment Yes No		No
(e) Whether the autonomous Railways	organisation has discha	rged its pensionar	Yes	No	
(f) Amount of any pension/gratuity received for previous civil service, if any	the	(g) Nature of any pension/gratuity received for the previous civil service, if any			

6. Service qualifying for d	eath gratuity	7:
-----------------------------	---------------	----

7. Emoluments reckoned for death gratuity		8. Amount of death gratuity	
be treated as completed six monthly period (rule 69)			
(e) Qualifying service expressed in terms of complet		ly periods (Period of three m	onths & above is to
(d) Net qualifying service			
Total period of qualifying service			
Benefit of service in an autonomous body			
Military service (rule 34)			
Civil (including railway) service (rule 33)			
(c) Additions to qualifying service:	From	То	Number of days
Total period of non-qualifying service			
Any other service not treated as qualifying service			
Periods of foreign service with United Nations bodies for which United Nations pension has been availed (rule 46)			
Boy service (2 nd Proviso to Rule 20)			
Period of suspension treated as non-qualifying			
Extraordinary leave not qualifying for gratuity			
Interruption in service condoned under rules 42 and 43			
(b)Periods of non-qualifying service:	From	То	No. of days
(a) Details of omission, imperfection or deficiencies (1)(b)(ii)	in the service	e book which have been igno	red [under rule 79

(a) Licence fee for occupation of Government or railway accommodation	
(b) Amount to be withheld as indicated by the Directorate of Estates/Engineering Department	
(c) Dues referred to in rule 98 (2)	
(d) Net amount payable as death gratuity	

10. Details of the nominee(s) to whom death gratuity is payable:

S.	No.	(a) Name	(b) Date of birth	(c) Share in death	(d) Relationship	(e) Address
			(DD/MM/YYYY)	<i>-</i>	with deceased railway servant	
1.						
2.						
3.						

11. Details of guardian/nominee who will receive payment of death gratuity in the case of minor/mentally disabled children

5			(c) Relationship with	(d) Address of guardian
	minor/mentally disabled	guardian	deceased railway servant	
	child			
Ī				
Ī				
I				

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 13

12. Details of payment of family pension

J F		Period for which it is payable				
	family pension	From	То	Total period		
(a) Enhanced rate [rule 75(4)]						
(b) Ordinary rate [rule 75(2)]						
(c) Additional family pension, as on date, to old family pensioner, if any, under rule 75(3A)						

13. Persons to whom family pension is payable

(a) Name		(b) Relationship with the deceased railway servant				
(c) Postal address						
Flat/House Number/Building Name		Street/Locality				
Village and Post Office/Block		City and District				
State		Pin Code				
Telephone No./Mob	ile	Email-Id				

14. Details of guardian who will receive payment of family pension in the case of minor/mentally disabled children

S. No.	(a) Name of minor/mentally disabled child	(b) Name of guardian	(c) Relationship with deceased railway Servant	(d) Address of guardian
1.				
2.				
3.				
Head of	Account to which death gratuit	y and family pension are deb	itable	
Place:				
Date:				
			(Sign	ature of Head of office)
			_	

Section II

Details of provisional family pension and gratuity to be drawn and disbursed by the Head of Office in accordance with rule 96

Provisional family pension						pm	
Death gratuity [amount mentioned in item 9(d)							
of Section I]	Rs						
Place:							
Date:					(C:	-£114-£-	cc:)
					(Signature	of Head of o	ince)
	Pa	rt II					
		Enfacement					
	Sec	tion I					
Total period of qualifying service accepted for			-				
gratuity							
Total period of continuous service accepted for	r family						
pension							
Net amount of death gratuity after adjusting							
Government and railway dues	11)						
Amount of family pension (Whichever is appli		002					
Family pension under Railway Services (Pensi	on) Rules, I	993			Amoun	t of family pe	nsion
At enhanced rate [rule 75(4)]							
At ordinary rate [rule 75(2)]	., .			1			
Additional family pension, as on date, to old fa 75(3A)	imily pension	ner, if any, u	nder ri	ule			
Date from which family pension is admissible							
Head of account to which death gratuity and fa	mily			•	•	•	
pension are debitable							
	Sect	ion II					
Details of deceased railway servant		1					
Name		Date of deat					
Amount of family pension authorised		Amount of authorised	gratuit	.y			
Date of commencement of		Amount rec	0.1.0401	ala fuan	. 1		
family pension		gratuity	overai	oie iron	1		
Head of Account to which death gratuity and f	amily pensic		ole				
Amount of gratuity withheld pending receipt o							
Demand Certificate'							
Place:							
Date:							
					(Signatur	e of Accounts	Officer)

[भाग II—खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 15

8. After Form 20, the Form 21 shall be inserted, namely:-

"Form 21"

[See Rule 55(3)]

Form of Medical Certificate

Certified that I/(We) have carefully examinedson of, ain theHis age by his
own statement isyears, and by appearance aboutyears. I/(We) consider to be completely
and permanently incapacitated for further service of any kind in the Department to which he belongs in consequence
of(here state disease or cause)."
(If the incapacity does not appear to be complete and permanent, the certificate should be modified accordingly and the following addition should be made)
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
"I am/(We) are of the opinion that is fit for further service of a less laborious character than that which he
had been doing, after resting formonths, be fit for further service of less laborious character than that which he had been doing."
HE HAU DEEH UOHIE.

Place

Dated the.....

Medical Authority

Explanatory Memorandum:

Sub-rule (4A) of rule 75 of the Railway Services (Pension) Rules, 1993, *inter alia*, provide for payment of family pension to the family of a Railway servant who dies within ten years before 1st day of October, 2019, without completing continuous service of seven years. It is certified that none shall be adversely affected by giving retrospective effect to the amendment.

Note-1: The amendments in rule 55 and rule 75 shall be deemed to have come into force with effect from 4th January, 2019 and 1st October, 2019 respectively.

Note-2: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* S.O. 930(E), dated the 3rd December, 1993 and was last amended *vide* G.S.R. 346(E), dated the 24th June, 2024.

[F. No. D-5/2019-F(E)III]

BANDANA SHARMA, Executive Director, Finance (Establishment)